इकाई ५ भारत और उसके पड़ोसी

इकाई की रूपरेखा

५.० उद्देश्य

५.१ प्रस्तावना

५.२ पाकिस्तान- भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी

५.३ भारत और श्रीलंका

५.४ भारत और नेपाल

५.५ भारत और बांग्लादेश

५.६ सारांश

५.७ संदर्भ

५.८ बोध प्रश्नों के लिए उत्तर

५.० उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य भारत और उसके दक्षिण-एशियाई पड़ोसियों पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच संबंधों की आलोचनात्मक पड़ताल करना है। इन देशों के साथ भारत के संबंधों की जांच राजनीतिक, आर्थिक और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों समेत अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में की गई है। इस पाठ से गुजरने के बाद आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे:

- अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण;
- भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान।

५.१ प्रस्तावना

दक्षिण-एशिया में राज्यों की वर्तमान स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजी राज की समाप्ति का ही परिणाम है। भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से सटे ये सभी देश जिस एक भौगोलिक इकाई का हिस्सा हैं वह भारतीय उपमहाद्वीप है। यहाँ तक कि समुद्री विस्तार के कारण इस इकाई से भिन्न जान पड़ने वाले मालदीव और श्रीलंका भी दूसरे कारणों से भारतीय उपमहाद्वीप से संबद्ध हैं- जैसे समान सभ्यता और विरासत, जातीयता, धार्मिक और भाषाई सामीप्य। इसके अलावा भौगोलिक निकटता तथा क्षेत्रीय ध्रुव, भारत से सान्निध्य के कारण परस्पर करीबी और टिकाऊ संवाद भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है।

इस संवाद का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह रहा है कि उपमहाद्वीप में भारत की केंद्रीय स्थिति और वर्चस्व की वजह से पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में हमेशा विषमता रही है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत अपने पड़ोसियों की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से विशाल और अधिक आबादी वाला देश है। ऐसा इसलिए भी नहीं है कि सैन्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रा में भारत की उपलब्धियाँ पाकिस्तान समेत अन्य देशों से कहीं ज्यादा हैं। बल्कि इस क्षेत्रीय संवाद की यह अभिलाक्षणिकता

रही है कि पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को तय करने में भारत को मानक के तौर पर लिया जाता है, न कि संबंधों में एकरूपता की बात होती है।

क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव भी इस क्षेत्रा के देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बीच बहुत मायने रखते हैं। इनका कारण वही विषमतापूर्ण संवाद है। इसके अलावा इन देशों के बुनियादी रणनीतिक दृष्टिकोण में भारी फर्क भी तनाव को बढ़ावा देता है। ब्रिटिश राज की उपमहाद्वीपीय सामरिक दृष्टि भारत को विरासत में मिली है जो इस क्षेत्रा के देशों के बीच भौगोलिक सान्निध्य पर आधारित है। लेकिन इसके ठीक उलट, भारत के पड़ोसी भारत के प्रति भयबोध की भावना से ग्रसित रहते हैं और उसे एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जिसके खिलाफ सामरिक सुरक्षा अनिवार्य है।

इन राज्यों को कुछ समस्याएँ तो सीधे ब्रिटिश राज से वसीयत में मिली हैं। उसके अतिरिक्त कुछ इनकी अपनी नीतियों के कारण भी हैं। पहली कोटि में जो समस्याएं रखी जा सकती हैं, वे हैं अपरिभाषित सीमाएं, इन पड़ोसी राज्यों में रह रहे भारतीयों की संवैधानिक अवस्थिति और इससे जुड़ी आव्रजन की समस्याएँ इत्यादि। दूसरी कोटि में वे समस्याएं आती हैं जो इन राज्यों द्वारा स्वत: प्रसूत हैं। मसलन, पाकिस्तान में चुने गए प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद सरकारों का लगातार बदलना और फिर सैन्य तख्तापलट। श्रीलंका जातीय समस्याओं से ही जूझ रहा है, जिसके कारण वहां गृह युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल में शाही परिवार का खात्मा १ जून २००१ को हो गया। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हिंसक आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में इन राजनीतिक हत्याओं को अंजाम दिया गया। १९९० में वहां लोकतंत्रा की बहाली के बाद अब तक दस सरकारें बदली जा चुकी हैं। बांग्लादेश में अत्यधिक हिंसा तथा बदहाल कानून व्यवस्था के साये में २००१ में चुनाव करवाए गए थे। भूटान में वहां रह रहे नेपालियों के असंतोष और उत्तर-पूर्व में भारतीय सीमा पर अलगाववादी आंदोलनों के मद्देनजर नई चुनौतियाँ सिर उठा रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पिछले कई वर्षों के दौरान भारत को उसके पड़ोसियों के साथ एक स्थायी और व्यावहारिक संबंध कायम रखने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। खासकर, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ भारत के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है चाहे वह कश्मीर का सवाल हो, गैरकानूनी घुसपैठ की समस्या या बांग्लादेश के साथ कुछ परिक्षेत्राों पर अधिकार का मामला हो।

५.३ पाकिस्तान: भारत का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी

भारत के विभाजन के बाद भारत-पाकिस्तान के परस्पर संबंधों के इतिहास का विश्लेषण उन समस्याओं और विवादों के चरित्रा की समीक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है, जिन्होंने दोनों देशों को युद्ध के दौरान और बाद में भी तनावपूर्ण, आक्रामक और संघर्षपूर्ण संवादों में जकड़े रखा है। इन प्रतिकूल संबंधों की परिणति अब तक चार युद्धों के रूप में हो चुकी है और भारत अभी भी पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में चलाए जा रहे उस छद्म युद्ध की चुनौती का सामना कर रहा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर को शेष भारत से अलग करना है। जनता की नजर में, और खासकर हमारी सेनाओं की नजर में पाकिस्तान की पहचान अभी भी एक शत्राु के रूप में की जाती रही है, हालांकि इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म तथा भूगोल के मामले में दोनों देशों के बीच तमाम समानताएं हैं।

एक ओर जहां भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक समानताओं तथा जातीय और भाषाई संबद्धता के चलते दोनों देशों के बीच संघर्षपूर्ण के बजाय सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए, आखिर क्या वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ कायम हैं? आइए, इस सवाल को हम समझने की कोशिश करें।

दोनों देशों की एक दूसरे के प्रति असहमति के कारणों में संवादहीनता, परस्पर आशंका की स्थिति और इन आशंकाओं को सायास बढ़ावा देने वाले कदमों को गिनाया जा सकता है। पहले पाकिस्तान की आशंकाओं को समझ लेना बेहतर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन के विरोध के

फलस्वरूप मुस्लिम लीग के समक्ष जो चुनौती पैदा हुई, उसकी कड़वी स्मृतियाँ अभी भी पाकिस्तानियों के मन में बसी हुई हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम लीग अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक जिस भौगोलिक परिक्षेत्रा में पाकिस्तान का गठन चाहती थी, वह नहीं हो सका। इतिहास की विडम्बनाओं में से एक यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले कई लोग अभी भी दो राष्ट्रों के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। पाकिस्तान के पक्ष में खड़े किए गए आंदोलन की मुख्य ताकत बंगाल और उत्तर-मध्य भारत के मुस्लिम थे। यह समर्थन भी मुस्लिम जनता की ओर से नहीं था, बल्कि मुस्लिम अभिजात्य वर्ग का था। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिन्ना को तब हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता रहा जब तक कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के रूप में उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान का अब भी यही दृष्टिकोण है कि लॉर्ड माउंटबैटन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मिलीभगत ने एक ऐसा पाकिस्तान बनने की राह में अवरोध पैदा किया जहां भारत की सारी मुस्लिम आबादी रहे। यह कड़वाहट आज भी पाकिस्तानी सत्ता और उसकी संरचना की मानसिकता पर व्याप्त है।

जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में भारत के कठोर कदमों ने इस कटुता को बढ़ाने का ही काम किया। इससे भी महत्वपूर्ण यह कि इन कदमों ने ऐसी आशंका पैदा कर दी कि भारत विभाजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को नष्ट कर देगा, चाहे उसे तोड़ कर अथवा उसके प्रांतों का वापस उस हिंदू योजना में विलय कर, जिसे पाकिस्तानियों ने 'अखंड भारत' का नाम दिया था। सामरिक संसाधनों के वितरण और विदेशी मुद्रा भंडार पर भारत के पक्ष ने पाकिस्तान की इस आशंका को मजबूत किया कि भारत की योजनाएँ विघटनकारी हैं। दोनों देशों के आकार, आबादी और संसाधनों में असमानता ने इन आशंकाओं में ईंधन का काम किया।

बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका ने पाकिस्तान की इस भयाक्रांत मानसिकता को और बल दिया। लेकिन अगर ऐसा है, तो फिर १९४८ और १९६५ में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयाँ क्यों कीं? इसका जवाब संभवत: उस अर्धचेतन इच्छा में तलाशा जा सकता है जो विभाजन से पैदा हुई अव्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त करना चाहती थी। १९७१ के संघर्ष ने भारत के संदर्भ में भी पाकिस्तान का रूझान सैन्य कार्रवाइयों की ओर कर दिया। पाकिस्तानी सत्ता की वही मानसिकता आज भी यथावत है।

भारत-पाक संबंधों से जुड़े उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आइए उन महत्वपूर्ण घटनाओं की पड़ताल करें जो दोनों देशों के बीच घटीं। विभाजन की शुरुआती समस्या के अलावा पाकिस्तान की इच्छा के विपरीत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के प्रांतों का भारत में विलय तथा रावी, सतलुज और ब्यास के जल बँटवारे की समस्या भी रही, जिसका समाधान १९ सितंबर १९६० को दोनों देशों के बीच हुए एक शांतिपूर्ण समझौते से हो गया। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास पैदा करने वाली मुख्य समस्या कश्मीर से जुड़ी है। इसलिए यह जरूरी है 'कश्मीर विवाद' की विस्तार से चर्चा की जाए, चूंकि दोनों देशों के बीच यही इकलौती विवाद की हड्डी है।

कश्मीर विवाद

८६,०२४ वर्ग मील के क्षेत्रा वाले तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की आबादी में मुस्लिमों का वर्चस्व था और वहां एक हिंदू राजा महाराजा हरि सिंह का शासन था। १५ अगस्त १९४७ को मिली आजादी के पहले और ठीक बाद भी उन्होंने राज्य के परिग्रहण संबंधी कोई भी निर्णय नहीं लिया था। महाराजा की योजना थी कि वह अपने राज्य को एक स्वतंत्रा राष्ट्र घोषित करें। महाराजा के इस ढुलमुलपन का फायदा पाकिस्तान ने उठाया और उसने उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के कबीलाई लोगों की मदद से राज्य पर हमला बोल दिया। २२ अक्टूबर १९४७ को किए गए इस हमले के सिर्फ पांच दिन के भीतर ही हमलावर श्रीनगर से २५ मील दूर बारामूला तक आ पहुंचे। इस हमले से अतिविस्मित हरि सिंह ने भारत से मदद लेने का निर्णय किया और भारत सरकार से विनती कि राज्य की रक्षा करने के एवज में वे परिग्रहण के कागजात पर दस्तखत करने को तैयार हैं। २७ अक्टूबर १९४७ तक जम्मू-कश्मीर के परिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई और सेना को हमलावरों

से क्षेत्रा खाली कराने की अनुमति दे दी गई। जम्मू-कश्मीर का परिग्रहण करने के वक्त भारत ने कहा था कि राज्य को हमलावरों से खाली कराने के बाद जनता की राय क्या है, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। पाकिस्तान ने इस परिग्रहण को स्वीकार नहीं किया और इसे भारत का आक्रमण माना। इस दौरान पाकिस्तान ने आक्रमणकारियों द्वारा कब्जाए गए परिक्षेत्रा में आजाद कश्मीर नामक सरकार की स्थापना कर दी। इस मुद्दे पर भारत ने अनुच्छेद ३५ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया। वास्तव में, जम्मू-कश्मीर की जनता की राय जानने के लिए नेहरू सरकार द्वारा जनमत संग्रह करवाने का निर्णय एक ऐसी गंभीर गलती थी, पाकिस्तान जिसका फायदा उठाकर अभी तक इस विवाद को खींचने में कामयाब रहा है।

सुरक्षा परिषद ने इस मसले पर कई फैसले किए। सबसे पहले २० जनवरी १९४८ को एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। बाद में इसका विस्तार होता रहा और इसका नामकरण किया गया भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईपी)। आयोग ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात और जाँच के बाद अंतत: ११ दिसंबर १९४८ को अपनी रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में दोनों देशों के बीच कटुता को समाप्त करने और जनमत संग्रह के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं। सर्वप्रथम, संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य टुकड़ियां जम्मू-कश्मीर से जल्द से जल्द हटाए तथा उन कबीलाई और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस बुलाए जो जम्मू-कश्मीर के निवासी नहीं हैं। दूसरे, पाकिस्तानी टुकड़ियों द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों का प्रशासन आयोग की देखरेख में स्थानीय अधिकारी करें। तीसरे, इन दो शर्तों के पूरी हो जाने और भारत को इसकी सूचना दिए जाने के बाद वह भी अपनी अत्यधिक सैन्य टुकड़ियों को वहाँ से हटा ले। अंतिम सिफारिश थी कि अंतिम समझौते के तहत भारत सीमित संख्या में वहाँ अपनी टुकड़ियां स्थापित करे जो सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हों। शुरू में आनाकानी करने के बाद पाकिस्तान ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया और दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों ने जनवरी १९४९ को आधी रात में एक संघर्ष विराम पर दस्तखत किए। युद्ध समाप्त हो गया और संघर्ष विराम लागू हो गया। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि संघर्ष विराम ऐन उस वक्त लागू हुआ जब भारतीय सेनाएं घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने और पूरे राज्य को मुक्त करा पाने की स्थिति में थीं।

जिस स्थान पर युद्ध समाप्त हुआ, वहीं पर संघर्ष विराम रेखा (अब नियंत्राण रेखा) खींच दी गई। २७ जुलाई १९४९ को कराची में संघर्ष विराम रेखा पर एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक जम्मू-कश्मीर का ३२००० वर्ग मील परिक्षेत्रा पाकिस्तान के कब्जे में ही रखा गया, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर पुकारता है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कई आयोगों का गठन किया और प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इनमें से किसी से भी कश्मीर समस्या का हल नहीं हो सका। इस दौरान वयस्क मतदान के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा ने ६ फरवरी १९५४ को भारत सरकार द्वारा राज्य के परिग्रहण पर मुहर लगा दी। १९ नवंबर १९५६ को स्वीकृत राज्य के संविधान में जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया। भारत का पक्ष है कि सीधे चुनी गई कश्मीर की संविधान सभा द्वारा राज्य के परिग्रहण की अभिपुष्टि से राज्य की जनता की इच्छा का सम्मान किया गया है। भारत ने इस परिग्रहण को २६ जनवरी १९५७ को अंतिम मंजूरी दी।

कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान द्वारा कई बार संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समय-समय पर उठाया गया है। कश्मीर को पाकिस्तान का अंग बनाए जाने के पीछे उसका तर्क वहाँ की बहुसंख्य आबादी की समान धार्मिकता है। लेकिन भारत का मानना है कि राजनीतिक कार्रवाइयों का आधार धर्म को नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद में संलग्न है और वह कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या को अंजाम दे रहा है। भारत द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के हरसंभव बेहतरीन प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान राजनीतिक प्रतिशोध के चलते अब तक चार युद्ध थोप चुका है।

५.३ भारत और श्रीलंका

भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी दक्षिण में श्रीलंका है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय गणराज्य है। श्रीलंका ४ फरवरी १९४८ को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। भारत की ही भाँति श्रीलंका भी उसके स्थापना वर्ष १९६१ से गुट निरपेक्ष आंदोलन का सक्रिय सदस्य रहा है। वह दक्षेस का भी सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व शांति की अवधारणा में उसकी पूर्ण आस्था है। इस तरह भारत का यह दक्षिणी पड़ोसी भारत से इतना साम्य रखता है कि एक बार विश्वास नहीं होता कि दोनों देशों के बीच विवाद का कोई मुद्दा भी हो सकता है।

भारत और श्रीलंका के संबंध सामान्यत: सौहार्दपूर्ण रहे हैं, हालांकि दोनों देशों के बीच तनावों का मुख्य कारण भारतीय मूल के लोगों-खासकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय संघर्ष रहा है। सामान्यत: एक छोटा देश बड़े पड़ोसी के प्रति आशंकित रहता है। लेकिन भारत ने कभी भी बड़ा पड़ोसी होने के नाते वर्चस्व जताने का प्रयास नहीं किया। भारतीय विदेश नीति हमेशा अपने पड़ोसियों से मित्राता पर आधारित रही है। श्रीलंका की जातीय समस्याओं के बावजूद भारत ने कभी भी अपनी इच्छा श्रीलंका पर थोपने की कोशिश नहीं की है।

तमिल समस्या

उत्तरी श्रीलंका के जाफना प्रांत में तमिल लोगों का बाहुल्य है। इस समस्या ने तब गंभीर रूप ले लिया जब उत्तरी श्रीलंका के १८००० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रा में तमिलों ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र ईलम गणराज्य की मांग करनी शुरू कर दी। श्रीलंका में तमिलों की दो कोटियाँ हैं। बहुत पहले भारत से श्रीलंका पलायन कर गए तमिलों के वंशजों की संख्या इस समय करीब दस लाख है। इन्हें सीलॉन तमिल कहा जाता है। दूसरी कोटि में भी करीब दस लाख तमिल आते हैं जो उन्नीसवीं शताब्दी में भारत से श्रीलंका आए थे। इनमें से अधिकांश की कोई नागरिकता नहीं है। इन लोगों की नागरिकता का सवाल पहले भारत और श्रीलंका के संबंधों में मायने रखता था। सीलॉन तमिलों के साथ संघर्ष बाद में सामने आया। इस संघर्ष के पीछे प्रमुख कारण यह है कि सिंहलियों को तमिल वर्चस्व से भय का बोध होता है।

आजादी के बाद श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्राी डुडले एस. सेनानायके ने तमिलों को न्याय का आश्वासन दिया। उनकी मृत्यु के बाद तमिलों के साथ भेदभाव शुरू हो गया। प्रधानमंत्राी भंडारनायके ने हालांकि तमिलों के साथ एक समझौता संपन्न किया, लेकिन इससे तमिलों को राहत नहीं मिली। अहिंसा में विश्वास खो चुके तमिल युवकों ने खुद को मुक्तिचीतों के रूप में संगठित कर लिया। इन चीतों का उद्देश्य एक संप्रभु तमिल राज्य या ईलम की स्थापना करना था। इस जातीय समस्या का हल ढूंढने की दिशा में शुरुआती प्रयास के रूप में भारत के प्रधानमंत्राी पं. जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्राी कोटेलावाला के बीच १९५४ में एक समझौते पर दस्तखत किए गए। तमिलों ने आरोप लगाया कि नेहरू-कोटेलावाला समझौते का गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय मूल के अधिकांश लोगों को श्रीलंका की नागरिकता नहीं मिल सकी और वे 'राज्यविहीन व्यक्तियों' की श्रेणी में आ गए। इसने भारत-श्रीलंका संबंधों के बीच तनाव पैदा कर दिया जो १९५६ के भाषाई विवाद के बाद और गहरा गया। श्रीलंका की जनता ने भारत को इन तनावों के लिए जिम्मेदार ठहराया।

राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्या

भारत के प्रधानमंत्राी लालबहादुर शास्त्राी और श्रीलंका के प्रधानमंत्राी भंडारनायके के बीच चली लंबी वार्ता के बाद अक्टूबर १९६४ को राज्यविहीन व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक समझौता हुआ। इसमें नौ लाख ७५ हजार राज्यविहीन लोगों की समस्याओं को संबोधित किया गया था। इनमें से करीब तीन लाख लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दी जानी थी और करीब पाँच लाख २५ हजार लोगों को भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त शेष डेढ़

लाख लोगों की किस्मत का फैसला भविश्य पर छोड़ दिया गया था। अपने दूसरे प्रधानमंत्रित्वकाल में १९७४ में श्रीमती भंडारनायके की भारत यात्राा के दौरान प्रधानमंत्राी इंदिरा गांधी से मुलाकात के बाद एक ताजा समझौता हुआ जिसके मुताबिक आधे राज्यविहीन व्यक्तियों को श्रीलंका की नागरिकता दी जानी थी और शेष को भारत की। इस प्रकार से राज्यविहीन व्यक्तियों की इस समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर लिया गया।

कच्छातिवू विवाद

पाक जलडमरूमध्य में जाफना तट के किनारे कच्छातिवू नामक एक वर्ग मील निर्जन इलाके के स्वामित्च को लेकर एक क्षेत्राीय विवाद पैदा हो गया। इस द्वीप पर हर वर्ष मार्च में भारत और श्रीलंका के तीर्थयात्राी स्थानीय रोमन कैथोलिक चर्च में सेंट एंथनी के चार दिवसीय पर्व पर पूजा करने जाते थे। १९६८ में महोत्सव के दौरान भारत ने वहां श्रीलंका की पुलिस की मौजूदगी का विरोध किया। इससे संघर्ष पैदा हो गया। दोनों ही देश किसी भी गंभीर स्थिति से बचना चाहते थे। भारत और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों ने दो मुलाकातों के बाद यह तय किया कि द्वीप पर और उसके बाहर यथास्थिति बने रहने दी जाए। यह तय किया गया कि भारत और श्रीलंका दोनों ही सेंट एंथनी के महोत्सव में न तो अपनी पुलिस को वर्दी में भेजेंगे, न ही वहाँ कस्टम के अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा हवाई सर्वेक्षण और नौसैनिक निरीक्षण पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अंततः, एक संक्षिप्त समझौते के तहत भारत ने कच्छातिवू द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया।

जातीय संघर्ष

श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय संघर्ष ने १९८३ में गंभीर रूप धारण कर लिया। इसे 'जातीय विस्फोट' और 'श्रीलंका के हत्याकांड' का नाम दिया गया। १९८३-८६ के बीच करीब दो लाख तमिल बेघर होकर शरणार्थी हो गए। हजारों मारे गए और घायल हो गए। इसके बावजूद सर्वदलीय शांति वार्ता ने पूरे गणराज्य को भ्रम में डाले रखा। अंत में प्रधानमंत्राी राजीव गांधी ने इस जातीय हिंसा के समाधान के मकसद से पहल की। श्रीलंका सरकार के आमंत्राण पर भारतीय प्रधानमंत्री दो दिवसीय यात्राा पर कोलंबो गए और वहाँ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारतीय शांति रक्षक बल (आईपीकेएफ) को श्रीलंका में भेजने का प्रावधान था जिससे वहाँ स्थितियाँ सामान्य हो सकें।

राजीव-जयवर्द्धने समझौते के अनुरूप हजारों भारतीय सैन्य टुकड़ियों को श्रीलंका में शांति कायम करने के लिए भेजा गया। लेकिन शांति सेना की तैनाती भारत के लिए महंगी पड़ी। व्यवस्था कायम करने के लिए भारतीय सेना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। तमिल अतिवादियों के साथ संघर्षों में सैकड़ों भारतीय सैनिक मारे गए। इसके बावजूद जातीय संघर्ष को नियंत्रित नहीं किया जा सका। आईपीकेएफ की व्यर्थता को समझते हुए भारत ने अपनी टुकड़ियों को वापस बुलाने का फैसला किया। मार्च १९९० तक सारी टुकड़ियों को वापस बुला लिया गया।

श्रीलंका में अलगाववादी आंदोलन का भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी वाजिब कदम उठाए थे कि श्रीलंका विरोधी गतिविधियों के लिए भारत की धरती का इस्तेमाल न किया जा सके। कहना न होगा कि भारतीय सेना को भेजे जाने के परिणामस्वरूप लोकसभा चुनावों की दौड़ में पूर्व प्रधानमंत्राी राजीव गांधी की कथित तौर पर एक मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई।

श्रीलंका की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंग की भारत यात्राा के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर समझदारी वाला माहौल बन सका। भारत अभी भी श्रीलंका में जारी जातीय संकट के ऐसे शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है, जो देश की संप्रभुता और क्षेत्राीय अखंडता के दायरे में हो और जिसे बाहरी ताकतों की दखलंदाजी न हो। भारत ने श्रीलंका के उस हालिया प्रस्ताव का स्वागत किया है जिसमें सत्ता हस्तांतरण के द्वारा उन क्षेत्राों के लिए कुछ हद तक स्वशासन की बात कही गई है जहां तमिल अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है।

बोध प्रश्न १

नोट : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग करें।

ख) अध्याय के अंत में दिए गए मानक उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान करें।

१) यूएनसीआईपी क्या है? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

२) भारत और श्रीलंका के बीच कच्छातिवू विवाद का समाधान कैसे हुआ?

.....

.....

.....

.....

.....

५.४ भारत और नेपाल

विश्व का इकलौता हिंदू राज्य नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। नेपाल में भारत की रुचि ऐतिहासिक, धार्मिक और रणनीतिक कारणों से स्वाभाविक है। उत्तर में भारत की सुरक्षा नेपाल से बहुत गहरे जुड़ी हुई है।

शांति और मित्रता संधि, १९५०

३१ जुलाई १९५० को दोनों देशों ने शांति और मित्राता संधि पर दस्तखत किए और आरंभ में भारत-नेपाल संबंध इसी संधि पर आधारित थे। संधि पर दस्तखत के बाद भारत ने नेपाल, तिब्बत और भूटान के बीच दर्रों की निगरानी के लिए १७ चौकियाँ स्थापित कीं। इन चौकियों को भारतीय और नेपाली कर्मचारी संयुक्त रूप से संचालित करते रहे। नेपाली सेना को संगठित और प्रशिक्षित करने के लिए काठमांडू में एक भारतीय सैन्य अभियान भी चलाया गया। नेहरू की इस बात में गहरी रुचि थी कि नेपाल अपनी स्वतंत्राता और संप्रभुता का संपूर्ण उपभोग करे। राणाओं की राजशाही व्यवस्था के खिलाफ चलाए गए लोकतांत्रिाक आंदोलन के दौरान भी भारत ने धैर्य और संयम बनाए रखा।

१९६२ में भारत-चीन युद्ध के बाद भारत के लिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का महत्व बहुत बढ़ गया। संबंधों की बेहतरी के लिए भारत की इच्छा को नेपाल की ओर से सकारात्मक जवाब मिला। नेपाल नरेश की भारत की १३ दिन की यात्राा और बाद में राष्ट्रपति राधाकृष्णन की नेपाल यात्राा ने संबंधों को और मजबूती प्रदान की। इन रिश्तों में और सुधार आया जब भारत के विदेश मंत्राी सरदार स्वर्ण सिंह ने १९६४ में अपनी नेपाल यात्राा के दौरान नेपाल को और ज्यादा आर्थिक सहायता मुहैया कराने संबंधी एक समझौते पर दस्तखत किए। १९६५ में नेपाल नरेश दोबारा भारत

के दौरे पर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री से वार्ता की। कश्मीर पर भारत के पक्ष को नेपाल ने पूरा समर्थन दिया। नेपाल नरेश ने उनके देश को भारत द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद की सराहना की। हालाँकि, इन द्विपक्षीय संबंधों को झटका लगा जब सुस्ता क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद पैदा हुआ। १९६६ में इस क्षेत्र पर नेपाल ने अपना दावा किया था। बिहार से सटी नेपाल की सीमा पर स्थित एक वर्ग मील का यह क्षेत्र अभी भी विवाद का मसला बना हुआ है। अंतत: मसले के समाधान के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया।

नेपाल को आर्थिक मदद

१९६७ तक भारत ने नेपाल के आर्थिक विकास के लिए उसे ५० करोड़ (नेपाली रुपए) की राशि की सहायता दी थी और अतिरिक्त ४० करोड़ की आर्थिक मदद का वादा किया था। १९६७ तक भारत नेपाल का सबसे बड़ा इकलौता प्रदाता था। सड़क निर्माण और ऊर्जा के विकास ऐसे दो क्षेत्र थे जिनमें भारत ने नेपाल की प्रमुखता से मदद की। भारत ने नेपाल को काठमांडू में उसके पहले हवाई अड्डे के निर्माण में भी मदद की थी। लेकिन इस समय तक नेपाल के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में चीन एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था। नेपाल नरेश महेंद्र ने चीन और भारत, दोनों के प्रति अपनी तटस्थता को फिर से दोहराया। भारत के लिए हालांकि नेपाल की विदेश नीति में चीन की उपस्थिति ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी।

इस दौरान नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन लगातार किए जाने लगे। नेपाल ने उत्तरी सीमा चौकियों और काठमांडू में सैन्य समूहों से भारतीय कर्मचारियों को हटाए जाने की सार्वजनिक माँग कर डाली। यह माँग हालांकि संधि के प्रावधानों के खिलाफ थी, यानी नेपाल ऐसा कर के भारत-नेपाल संबंधों के आधार को ही चुनौती दे रहा था। नई दिल्ली में ऐसा माना जाने लगा कि नेपाल अब चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। लेकिन १९७१ की शुरुआत में ही नेपाल को भारत विरोधी अभियान की व्यर्थता का बोध हो गया। आखिरकार इसने नेपाल की अर्थव्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाया था। बातचीत के दरवाजे दोनों ओर से खोल दिए गए और नई पारगमन की संधि पर काठमांडू में १९७१ में दस्तखत किए गए। १९७१ के अंत तक दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर आ गए थे।

१९७२ में महेंद्र की मौत के बाद महाराजा बीरेंद्र ने उनकी गद्दी संभाली। उनके शासन में नेपाल ने भारत के साथ बेहतर संबंधों के लिए कार्य करना शुरू किया। भारत ने नेपाल में ऊर्जा तथा सिंचाई परियोजनाओं के विकास में हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख परियोजनाएँ थीं कोसी, गंडक, कर्नाली, त्रिसूली तथा देवीघाट और पोखरा पनबिजली परियोजाएँ। भारत और नेपाल ने मिलकर हिमालय से निकलने वाली नदियों का उपयोग करने की योजना बनाई। भारत ने कई क्षेत्रों में नेपाल को मदद दी और सहकारी भूमिका निभाई जैसे सड़क निर्माण, हवाई अड्डा निर्माण, दूरसंचार, मत्स्य पालन, कृषि, वानिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य।

नेपाल के साथ दोस्ताना संबंधों में फिर बहार आई जब श्रीमती गाँधी १९८० में सत्ता में लौटीं। राजा बीरेंद्र ने १९८१ में भारत की यात्रा की और उसी वर्ष राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने बदले में नेपाल का दौरा किया। नेपाल का पड़ोसी होने और एक बड़ी ताकत होने के नाते चीन उसमें गहरी दिलचस्पी ले रहा था। भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों में जब-जब दरार आती, चीन उसे और चौड़ा करने का ही काम करता था। हालांकि भारत नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझीदार बना रहा। १९८४-८५ के दौरान नेपाल के आयात-निर्यात से हुए कुल व्यापार का ५२ फीसदी हिस्सा सिर्फ भारत के साथ ही था। नेपाल की जरूरत के अधिकांश सामानों का उत्पादन भारत में ही होता है और वे बगैर किसी कठिनाई के उपलब्ध करवा दिए जाते हैं।

नेपाल में सदियों पुरानी राजशाही को ८ अप्रैल १९९० को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। महाराजा बीरेंद्र ने जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए दलविहीन पंचायत व्यवस्था को समाप्त करने कर निर्णय लिया। नरेश इस संवैधानिक व्यवस्था से सहमत हो गए जिसमें कहा गया था कि

राज्य के प्रमुख की उनकी पदवी बनी रहेगी लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी कैबिनेट की होगी और वह संसद के प्रति जवाबदेह होगी। चुनाव बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर कराए जाएंगे। इस तरह से एक दलविहीन लोकतंत्रा का स्थान दल आधारित संसदीय लोकतंत्रा ने ले लिया।

दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में सुधार १९९१ से इनकी अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण के चलते हुआ। १९९१ की व्यापार और परिगमन संधि तथा १९९३ में किए गए संशोधनों ने भी सकारात्मक नतीजे दिए। १९९२-९४ के दौरान नेपाल के आर्थिक विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में लगातार अभिव्यक्त होती रही। फरवरी १९९६ में नेपाली प्रधानमंत्राी देउबा की भारत यात्राा के दौरान दोनों देशों ने महाकाली परियोजना के विकास से संबंधित एक संधि पर दस्तखत किए। आपसी फायदों के लिए नदियों के पानी के उपयोग से संबंधित यह परियोजना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सीमाओं की पहचान के लिए दोनों देश तकनीकी स्तर के एक संयुक्त भारत-नेपाल सीमा आयोग के माध्यम से एक समयबद्ध कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। इस तरह भारत का हाथ नेपाल की ओर दोस्ती के लिए हमेशा से बढ़ा रहा है।

५.५ भारत और बांग्लादेश

दिसंबर १९७१ में बांग्लादेश का जन्म भारत-पाक युद्ध का सीधा नतीजा था जिसमें पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों ने बिना किसी शर्त तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश के प्रादुर्भाव को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में परिभाषित किया गया। भारत को पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त करने के लिए विवश होना पड़ा चूंकि भारत के समक्ष उस समय सबसे बड़ा संकट एक करोड़ शरणार्थियों के सीमा पार से घुस आने का था। भारतीय प्रधानमंत्राी श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा पाकिस्तान पर अवामी लीग के नेताओं के साथ समझौता करवाने के लिए बनाया गया दबाव भी विफल रहा और कोई नतीजा नहीं निकला।

९ मार्च १९७२ को दोनों देशों ने मित्राता और शांति की संधि पर दस्तखत किए। श्रीमती गाँधी ने बांग्लादेश को भारत के पूर्ण सहयोग और संयुक्त राष्ट्र में उसे प्रवेश दिलाने का पूरा भरोसा दिलाया। इस संधि की समय सीमा २५ वर्ष थी। पाकिस्तान इस संधि पर दस्तखत से असंतुष्ट था और उसने इसे सैन्य गठबंधन का नाम दिया। लेकिन संधि के प्रावधानों के अध्ययन से पता चलता है कि इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, क्षेत्राीय शांति कायम करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। यह निश्चित तौर पर किसी देश या देशों के समूह के खिलाफ कोई सैन्य संधि नहीं थी। इस संधि के बाद २५ मार्च १९७२ को दोनों देशों के बीच एक संक्षिप्त व्यापार समझौता किया गया। इस तरह परस्पर समानता और आपसी हितों, मित्राता तथा सहयोग की पृष्ठभूमि में मित्राता संधि और व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच हुआ।

गंगा जल का बंटवारा

भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की सबसे बड़ी हड्डी गंगा नदी के जल के बँटवारे से संबद्ध है। यह विवाद जनवरी से मई के बीच, खासकर मार्च के मध्य से मध्य मई तक गंगा के पानी के बँटवारे से जुड़ा हुआ है, जब गंगा का बहाव ५५,००० क्यूसेक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। समस्या का कुल निचोड़ यह है कि अगर भारत न्यूनतम ४०,००० कयूसेक पानी अपने लिए हुगली में छोड़ता है, जो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए कम से कम अनिवार्य है तो बांग्लादेश को सिर्फ १५,००० क्यूसेक पानी ही मिल पाता है जो उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत कम है। भारत द्वारा इतनी मात्राा में पानी ले लेने से बांग्लादेश में कई स्तरों पर समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य समस्या गंगा जल के समान बँटवारे को लेकर ही है। बंगाल-बिहार सीमा पर भारत द्वारा गंगा नदी पर बनाया गया फरक्का बैराज कोलकाता के उत्तर में ४०० किलोमीटर दूर स्थित है। इस बैराज के निर्माण का मुख्य कारण कोलकाता बंदरगाह का संरक्षण और रखरखाव तथा भगीरथी-हुगली की नौगम्यता को बनाए रखना

था। बैराज निर्माण के बाद कोलकाता बंदरगाह का तो बचाव हो गया पर बंदरगाह से पानी की दिशा में परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बन गया। गंगा के पानी के समान बँटवारे और फरक्का बैराज के मसले को हल करने के लिए कई समझौते किए गए लेकिन इस दिशा में आखिरी समझौता दोनों सरकारों के बीच १९९६ में संपन्न हुआ। शेख हसीना की सरकार ने भारत के साथ अगले तीस वर्षों तक गंगा जल के बँटवारे से संबंधित एक संधि की। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने किया। इस संधि की मुख्य विशेषता यह है कि गंगा के पानी का निर्धारण १ जनवरी से ३१ मई तक की अवधि में १० दिनों के हिसाब से १५ हिस्सों में किया जाएगा।

न्यू मूरे द्वीप विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों के स्वामित्व संबंधी विवाद भी रहे हैं। इनमें न्यू मूरे द्वीप विवाद, तीन बीघा गलियारे से जुड़ी समस्या और बेलोनिया सेक्टर में मुहुनिया चार में हुए संघर्ष शामिल हैं। इन तीनों में न्यू मूरे द्वीप विवाद अभी भी प्रमुख समस्या के रूप में बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूरे द्वीप के अंतर्गत दो से १२ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रा आता है जो समुद्री ज्वार भाटों पर निर्भर करता है। भारत के सबसे करीबी तटीय क्षेत्रा से वह करीब ५२०० मीटर की दूरी पर और बांग्लादेश के तट से ७००० मीटर पर स्थित है। १२ मार्च १९८० को द्वीप पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद से ही सारी समस्याएं पैदा हुईं। बांग्लादेश ने भारत के स्वामित्व पर ही सवाल उठा दिया। इस समस्या की हालांकि कई स्तरों पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी इसका समाधान नहीं हो सका है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर तीन बीघा गलियारे के विवाद के चलते भी प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान इस छोटे से भारतीय परिक्षेत्रा को बांग्लादेश को पट्टे पर दे दिया गया था, लेकिन इस समझौते का क्रियान्वयन नहीं हो सका चूंकि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ती।

अन्य द्विपक्षीय मुद्दे

भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के अन्य मुद्दों में एक चकमा शरणार्थियों की समस्या है जिन्होंने भारत के राज्य त्रिपुरा में शरण ले रखी है। १९९४ में हुई वार्ता के मुताबिक इन चकमा शरणार्थियों को त्रिपुरा से वापस बांग्लादेश की चिट्टगोंग पहाड़ियों में भेज दिया गया। कई को वापस भेज दिया गया है और कई अभी भी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत के सामने एक अन्य चुनौती इस समय वे बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जिनमें से अधिकांश गरीब तबकों से हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर बस गए हैं। एक आकलन के मुताबिक इनकी संख्या दस लाख से भी ज्यादा है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। भारत के कई बार अनुरोध के बावजूद बांग्लादेश सरकार इन्हें वापस बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। भारत सरकार के पास इन्हें बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने के लिए ठोस कदम उठाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।

बोध प्रश्न २

नोट : क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का उपयोग करें।

ख) अध्याय के अंत में दिए गए मानक उत्तरों से अपने उत्तरों का मिलान करें।

१) १९९० के दशक में भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों के चरित्रा की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

२) गंगा जल के बँटवारे पर भारत और बांग्लादेश विवाद में केंद्रीय मुद्दे क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

५.६ सारांश

भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ मिल कर रणनीतिक तौर पर सुरक्षित, राजनीतिक रूप से स्थिर और सौहार्दपूर्ण तथा आर्थिक सहयोग के माहौल का निर्माण किया जाए। भारत ने अपने पड़ोसियों से मित्राता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के बारे में जैसा ऊपर बताया गया है, इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत संघर्ष से बचना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है और सभी पड़ोसियों से मित्राता कायम रखना चाहता है। भारत के कई पड़ोसी गुट निरपेक्ष हैं और उन्होंने शांति की दिशा में भारत की पहल का माकूल जवाब भी दिया है। इसके बावजूद भारत के सामने संघर्ष के कई क्षण आए और कई नियमित युद्ध भी हुए। पाकिस्तान के साथ मित्रावत संबंध बनाए रखने के लिए भारत ने कई बार बिना किसी प्रतिदान की उम्मीद किए एकतरफा पहल की (जैसे पूर्व प्रधानमंत्राी इंद्र कुमार गुजराल का 'गुजराल सिद्धांत', जो कहता है कि अपने पड़ोसियों को आप जो कुछ दे सकते हैं वो दें और बदले में किसी चीज की उम्मीद न करें, चूंकि आप उनकी तुलना में बड़े देश हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्राी अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस सेवा, आगरा शिखर सम्मेलन इत्यादि)। पाकिस्तान ने भारत पर बदले में करगिल युद्ध थोप दिया और सीमा पार आतंकवादी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में लगा हुआ है। भारत की संसद पर हमला भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने ही किया था। वास्तव में, पाकिस्तान हर संभव तरीके से भारत में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहा है। अपने पड़ोसी देश के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देने वाले देश के रूप में पाकिस्तान एक बेहतरीन उदाहरण है।

अपने अन्य पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मधुर हैं। नेपाल और श्रीलंका में गठित नई सरकारों ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और समझौते करने का संकल्प दोहराया है। भारत लगातार इस क्षेत्रा में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए माहौल बनाने में अपने प्रयास जारी रखे हुए है। भारत और इसके पड़ोसियों के बीच नैकट्य का सबसे अच्छा उदाहरण नेपाल नरेश और वहां के प्रधानमंत्राी की मार्च २००३ में हुई भारत यात्राा थी। इसी तरह श्रीलंका के प्रधानमंत्राी ने भी हाल ही में भारत का दौरा किया था। पाकिस्तान को अगर छोड़ दें, तो शक्तिशाली चीन समेत सभी पड़ोसियों के साथ भारत के मधुर संबंध कायम हैं। यह भारत की पड़ोसियों से अच्छे संबंधों में आस्था का परिचायक है।

५.७ कुछ उपयोगी पुस्तकें

वी.पी. दत्त (१९८४). *इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी,* नई दिल्ली : विकास।

एम. रसगोत्रा, वी.डी. चोपड़ा और के.पी. मिश्रा (१९९०), *इंडियाज़ फॉरेन पालिसी इन* १९९०. नई दिल्ली: पैट्रियट प्रकाशन।

ललित मानसिंह. (१९९८). *इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी-एजेंडा फॉर दि २१फस्ट सेंचुरी.* दूसरा खंड, नई दिल्ली: कोणार्क प्रकाशन।

आर.के. खिलनानी (२०००). *रिस्टक्र्चरिंग इंडियाज़ फारेन पोलिशी,* नई दिल्ली: कॉमनवैल्थ। जे. एन. दीक्षित (२००२) *इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी-चैलेंज ऑफ* टेररिज्म, नई दिल्ली: ज्ञान।

५.८ बोध प्रश्नों के मानक उत्तर

बोध प्रश्न १

१) यूएनसीआईपी भारत और पाकिस्तान के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र का आयोग है जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद ने १९४८ में नियुक्त किया था। १९४८ में जमा की गई यू.एन.सी.आई.पी. की जाँच रपट में दोनों देशों के बीच उग्रता को कम करने तथा जनमत संग्रह के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें दी गईं। सर्वप्रथम, संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान अपनी सैन्य टुकड़ियां जम्मू-कश्मीर से जल्द से जल्द हटाए तथा उन कबीलाई और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस बुलाए जो जम्मू-कश्मीर के निवासी नहीं हैं। दूसरे, पाकिस्तानी टुकड़ियों द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों का प्रशासन आयोग की देखरेख में स्थानीय अधिकारी करें। तीसरे, इन दो शर्तों के पूरी हो जाने और भारत को इसकी सूचना दिए जाने के बाद वह भी अपनी अत्यधिक सैन्य टुकड़ियों को वहां से हटा ले। अंतिम सिफारिश थी कि अंतिम समझौते के तहत भारत सीमित संख्या में वहाँ अपनी टुकड़ियाँ स्थापित करे जो सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो।

२) जाफना के तट से कुछ दूरी पर स्थित निर्जन द्वीप कच्छातिवू भारत और श्रीलंका के बीच १९६० के दशक में विवाद का मुद्दा बना। इस मसले का हल द्विपक्षीय वार्ता से निकाल लिया गया, जब भारत ने द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया।

बोध प्रश्न २

१) दोनों ही देशों ने कमोबेश एकसाथ १९९० के प्रारंभिक दशक में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। भारत ने १९९१ में व्यापार और परिगमन संधि को बहाल किया और नेपाल के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिबद्धता जताई। भारत और नेपाल ने महाकाली परियोजना के विकास के लिए १९९६ में एक संधि पर दस्तखत किए। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के हितों में नदी के पानी का उपयोग है।

२) यह विवाद जनवरी से मई के बीच, खासकर मार्च के मध्य से मध्य मई तक गंगा के पानी के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, जब गंगा का बहाव ५५,००० क्यूसेक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है। समस्या का कुल निचोड़ यह है कि अगर भारत न्यूनतम ४०,००० क्यूसेक पानी अपने लिए हुगली में छोड़ता है, जो कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए कम से कम अनिवार्य है तो बांग्लादेश को सिर्फ १५,००० क्यूसेक पानी ही मिल पाता है जो उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से बहुत कम है। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य समस्या गंगा जल के समान बँटवारे को लेकर ही है।